परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 03/2021
(Operating Safety Alert No. 03/2021)

विषय- गाड़ी संख्या 12435 अप जयनगर-आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस का दानापुर मंडल के बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराव (Stoppage) होने के बावजूद सिगनल थ्रू (Through) रखे जाने के संबंध में.

गाड़ी संख्या 12435 अप जयनगर-आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस का दानापुर मंडल के बख्तियारपुर स्टेशन पर सोमवार एवं शुक्रवार को निर्धारित ठहराव (Stoppage) 17.28-17.30 hrs. है. दिनांक 19.11.2021 (शुक्रवार) को बख्तियारपुर लिंक केबिन ने इस गाड़ी के लिए बख्तियारपुर स्टेशन से 17.24 hrs. में लाइन क्लियर लिया तथा बख्तियारपुर स्टेशन ने 17.25 hrs. में अगले स्टेशन टेकाबीघा से लाइन क्लियर लिया. बख्तियारपुर लिंक केबिन ने 17.32 hrs. में बख्तियारपुर स्टेशन को TES (Train Entering in the Section) दिया और बख्तियारपुर स्टेशन के On duty स्टेशन मास्टर ने इस गाड़ी के लिए सिगनल थ्रू (Through) कर दिया. लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को Walkie-Talkie से कहा कि गाड़ी संख्या 12435 अप जयनगर-आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव (Stoppage) बख्तियारपुर स्टेशन पर है तब स्टेशन मास्टर ने लोको पायलट को गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी बख्तियारपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 02 पर 17.35-17.37 hrs. में रूकी एवं खुली.

इस गाड़ी का परिचालन पहले गाड़ी संख्या 04057 अप जयनगर-आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस के नाम से होता था. बख्तियारपुर स्टेशन के On duty स्टेशन मास्टर श्री धीरज कुमार से पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर लिंक केबिन ने गाड़ी संख्या 03435 अप बोल कर लाइन क्लियर माँगा था जिसका ठहराव (Stoppage) बख्तियारपुर स्टेशन पर नहीं है इसलिए सिगनल थ्रू (Through) रखा गया.

दानापुर मंडल द्वारा त्वरित करवाई करते हुए उक्त घटना के दोषी श्री धीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

उपरोक्त घटना से स्पष्ट होता है कि लाइन क्लियर लेते-देते समय पूरी गाड़ी संख्या स्पष्ट बोलने/सुनने में चूक होने के कारण ही ऐसी घटना हुई . अतः उक्त घटना के आलोक में सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि सेक्शन के सभी स्टेशनों पर एवं कण्ट्रोल ऑफिस में स्टेशन ठहराव वाली दैनिक/साप्ताहिक गाड़ियों के समय - सारिणी का एक लिस्ट बनाकर कार्य स्थल पर सामने रखा जाना सुनिश्चित करें. साथ ही कंट्रोलर, स्टेशन मास्टरों एवं गाड़ी परिचालन में सम्मिलित कर्मचारियों के बीच पूरी गाड़ी संख्या स्पष्ट रूप से बोला/सुना जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पुनः ऐसी घटना से बचा जा सके.

इस संरक्षा चेतावनी को सभी स्टेशनों, कण्ट्रोल ऑफिस, क्रू लॉबी एवं गार्ड बुकिंग स्थल के सूचना पट पर लगाया जाए ताकि संबन्धित कर्मचारियों को सजग किया जा सके.

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर.

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक 24.11.2021

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. वरि. मण्डल परिचालन प्रबंधक-धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।